
अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य की जनसंख्या में 2001 में 6.03 करोड़ से 2011 में 7.26 करोड़ की वृद्धि 20.40 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। राज्य की जनसंख्या के घनत्व में 2001 में 196 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अखिल भारतीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में निम्नतर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (44.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (29.50 प्रतिशत) से उच्चतर था। राज्य की साक्षरता दर में 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 69.32 प्रतिशत की आंशिक कमी आई जो कि अखिल भारतीय औसत 73.00 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (विकास संकेतकों सहित) परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12)	87,36,039	99,51,344	1,12,72,764	1,24,88,205	1,35,76,086
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.52	13.91	13.28	10.78	8.71
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011-12)	3,15,561	3,80,926	4,35,790	4,84,538	5,65,053
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2016 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

[®] वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2011-12 से 2014-15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2015-16 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 5,65,053 करोड़ था, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 16.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2006-07 से 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (14.52 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के राज्यों (14.27 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2015-16 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/ उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को **परिशिष्ट 1.3** एवं **परिशिष्ट 1.4** में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2015-16 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2014-15) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2015-16) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.5 भाग-क** वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2015-16 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2014-15	2015-16	संवितरण	2014-15	2015-16		
अनुभाग-क: राजस्व					आयोजनेतर	आयोजना	योग
राजस्व प्राप्तियां	88,640.78	1,05,510.60	राजस्व व्यय	82,372.82	68,319.27	31,451.43	99,770.70
कर राजस्व	36,567.12	40,213.66	सामान्य सेवाएं	22,365.11	25,370.91	329.35	25,700.26
करेतर राजस्व	10,375.23	8,568.79	सामाजिक सेवाएं	32,067.15	22,845.98	19,804.95	42,650.93
संघ करों/शुल्कों का अंश	24,106.99	38,397.84	आर्थिक सेवाएं	23,715.12	15,125.15	10,403.37	25,528.52
भारत सरकार से अनुदान	17,591.44	18,330.31	सहायतानुदान तथा अंशदान	4,225.44	4,977.23	913.76	5,890.99
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	27.73	26.47	पूंजीगत परिव्यय	11,877.68	156.90	16,678.57	16,835.47
			सामान्य सेवाएं	257.17	121.90	427.32	549.22
			सामाजिक सेवाएं	2,070.32	1.96	3,022.53	3,024.49
			आर्थिक सेवाएं	9,550.19	33.04	13,228.72	13,261.76
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	6,765.05	162.32	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	12,534.61	2,110.65	1,047.26	3,157.91
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.91	1.93	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.98	-	-	1.94
लोक ऋण प्राप्तियां	15,068.71	19,985.30*	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,920.52	-	-	4,860.36*
आकस्मिकता निधि	300.00	1.08	आकस्मिकता निधि	301.08	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां	1,10,294.74	1,32,772.19	लोक लेखा संवितरण	1,08,165.30	-	-	1,28,336.75
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	4,477.03	5,401.96	अन्तिम रोकड़ शेष	5,401.96	-	-	10,898.72
योग	2,25,574.95	2,63,861.85	योग	2,25,574.95			2,63,861.85

* वर्ष के दौरान कोई अर्थोपाय अग्रिम आधारित नहीं किए गए थे।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 16,869.82 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि संघ करों/शुल्कों के अंश (₹ 14,290.85 करोड़ से) एवं स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,646.54 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2015-16 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 1,14,422.89 करोड़) से ₹ 8,912.29 करोड़ से कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 17,397.88 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 10,583.78 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 3,335.15 करोड़ से), आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 1,813.40 करोड़ से) एवं सहायता अनुदान अंशदान (₹ 1,665.55 करोड़ से) के अंतर्गत थी।
- पूंजीगत व्यय में ₹ 4,957.79 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,711.57 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियों तथा संवितरण में क्रमशः ₹ 6,602.73 करोड़ तथा ₹ 9,376.70 करोड़ की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,916.59 करोड़ (33 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 60.16 करोड़ की कमी आई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किया गया।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 22,477.45 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा ₹ 20,171.45 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 5,496.76 करोड़ (102 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2015-16 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2015-16 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं चौदहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2015-16 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	-	शून्य	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.00 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+) 5,587.97 करोड़)	(+) 5,740 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.02 प्रतिशत)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए चौदहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2015-16 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजकोषीय घाटा / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (-)16,745.33 करोड़)	(-)14,065 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.49 प्रतिशत)
कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	24.87 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.00 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.77 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015-20, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2015-16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2015-16)

- राज्य ने 2004-2005 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, इसमें विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ₹ 528 करोड़ की कमी मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण, जलप्रदाय एवं ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण हुई। जिसका विवरण कड़िका 1.6.1 में दिया गया है।
- 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.49 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों एवं चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित सीमा (3.50 प्रतिशत) के भीतर था। राजकोषीय घाटा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (2.99 प्रतिशत) से भी कम था। यह अनुपात 2014-15 (2.34 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था। 2015-16 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में इसमें ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि हुई।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 22.50 प्रतिशत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः निर्धारित 25.00 प्रतिशत एवं 24.87 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (23.77 प्रतिशत) से भी कम था।
- 2015-16 के दौरान विनिर्दिष्ट निधियों में कम अंतरण/अंशदान के प्रकरण देखे गये जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। इन प्रकरणों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: निधियों के कम अंतरण का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	कम अंतरण/अंशदान का विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
1	एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को अंशदान का कम अंतरण-राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना	18.82	-	-	18.82
2	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	543.43	-	-	543.43
3	प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान	10.58	-	-	10.58
4	राज्य आपदा मोचन निधि में कम अंतरण	343.99	-	-	343.99
योग		916.82	-	-	916.82


(स्रोत: वित्त लेखे 2015-16)

तालिका 1.3 से स्पष्ट है कि 2015-16 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ से अधिक बताया गया जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 916.82 करोड़ से कम बताया गया।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2015-16 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे और बजट अनुमान)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 1,05,511 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 8,912 करोड़ (7.79 प्रतिशत) कम थी।
- करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 1,555 करोड़ (15.36 प्रतिशत) कम था।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 40,214 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 3,234 करोड़ (7.44 प्रतिशत) कम था। इसके अतिरिक्त राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 9,064 करोड़ (8.33 प्रतिशत) तथा ₹ 1,305 करोड़ (7.19 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमान (₹ 33 करोड़ से) से थोड़ा सा अधिक था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज में वृद्धि के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के संदर्भ की तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2015-16 के दौरान, 25 विभागों¹ (श्रेणी 1: 58 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 370 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2016) की गई जानकारी के अनुसार, 2011-12 से 2015-16 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: 2011-16 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	36,514.60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
योग	9,419.21	5,297.90	56.25	1,40,859.79	77,834.16	55.26

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

महिला उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जेण्डर बजट में किए गए प्रावधानों का उपयोग अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (मई 2016) एवं आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (जुलाई 2016) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

जेण्डर बजटिंग में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण पर किए गए अध्ययन के बारे में पूछे जाने पर दोनों विभागों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, इन विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि जेण्डर बजट के उपयोग में अत्यधिक कमी थी जैसा कि तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.5: 2015-16 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)


विभाग का नाम	श्रेणी 1 (100 प्रतिशत)				श्रेणी 2 (30 प्रतिशत)			
	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	01	1.00	0.36	0.64 (64.00)	21	433.43	355.16	78.27 (18.06)
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	05	74.79	29.85	44.94 (60.09)	44	4,413.14	3,012.91	1,400.23 (31.73)

जेण्डर बजट के उपयोग में कमी के बारे में पूछे जाने पर उपर्युक्त विभागों ने उत्तर दिया कि कमी का कारण रिक्त पदों, आवश्यकता के अनुसार व्यय एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध तथा जिलों द्वारा निधियों का आहरण न करना था।

¹ 1. गृह 2. वित्त 3. खेलकूद एवं युवा कल्याण 4. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 5. किसान कल्याण एवं कृषि विकास 6. सहकारिता 7. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 8. नगरीय प्रशासन एवं विकास 9. स्कूल शिक्षा 10. विधि एवं विधायी कार्य 11. पंचायत 12. जनजातीय कल्याण 13. सामाजिक न्याय 14. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 15. संस्कृति 16. पशुपालन 17. उच्च शिक्षा 18. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास 19. महिला एवं बाल विकास 20. ग्रामीण उद्योग 21. पिछड़ा वर्ग कल्याण 22. अनुसूचित जाति कल्याण 23. ग्रामीण विकास 24. आयुष 25. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे)

- वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 81 प्रतिशत, 16 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत समाविष्ट था।
- 2011-16 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में क्रमशः 69 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर 16 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों की सापेक्ष हिस्सेदारी 77 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के बीच रही।

- 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 16,870 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं ₹ 2,305 करोड़ (108 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,688 करोड़ (आठ प्रतिशत) की कमी हुई।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे निधियों का अंतरण

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों को बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों² को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में प्रदर्शित नहीं होती हैं। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते। तथापि भारत सरकार ने 2014-15 से चरणबद्ध तरीके से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये राज्य की समेकित निधि के माध्यम से राज्य सरकार को सीधे निधियां अंतरित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने केवल ₹ 1,239.68 करोड़ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे/प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किये जो कि विगत वर्ष से ₹ 384.83 करोड़ (45.02 प्रतिशत) अधिक थे। मुख्य प्राप्तकर्ता सक्षम प्राधिकारी, भू-अर्जन सोहागपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश एवं परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (₹ 209.84 करोड़ अर्थात 16.93 प्रतिशत) मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (₹ 170 करोड़ अर्थात 13.71 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल (₹ 163 करोड़ अर्थात 13.15 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर (₹ 142.80 करोड़ अर्थात 11.52 प्रतिशत), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (₹ 134 करोड़ अर्थात 10.81 प्रतिशत), नेपा लिमिटेड (₹ 103.88 करोड़ अर्थात 8.38 प्रतिशत), मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (₹ 56 करोड़ अर्थात 4.52 प्रतिशत) थे।

राज्य सरकार के माध्यम से निधियों को अंतरित करने के लिए नए चैनल को शुरु करने के पश्चात राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सामयिकता (Timeliness) पर प्रभाव अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से निधियां प्राप्त की थीं, से जानकारी मांगी गई थी। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत जानकारी को तालिका 1.6 में विस्तृत विवरण दिया गया।

तालिका 1.6: अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्तियों में विलंब

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अंश की दिनांक	राशि एवं देय दिनांक जिस तक अभिकरणों द्वारा निधियां प्राप्त की जानी थी		राज्य सरकार से प्राप्त राशि/वास्तविक दिनांक		निधियों की प्राप्तियों में विलंब
		देय दिनांक	राशि	वास्तविक दिनांक	राशि	
1.	14.05.2015	17.05.2015	30.06	24.06.2015	30.06	एक माह 07 दिवस
2.	04.09.2015	12.09.2015	15.03	16.11.2015	15.03	दो माह 04 दिवस
3.	23.11.2015	26.11.2015	18.79	18.12.2015	18.79	22 दिवस

² राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में गैर सरकारी संगठनों सहित कोई संगठन/संस्थान, जो कि राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार से प्राधिकृत है, सम्मिलित है।

स. क्र.	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अंश की दिनांक	राशि एवं देय दिनांक जिस तक अभिकरणों द्वारा निधियां प्राप्त की जानी थी		राज्य सरकार से प्राप्त राशि/वास्तविक दिनांक		निधियों की प्राप्तियों में विलंब
		देय दिनांक	राशि	वास्तविक दिनांक	राशि	
4.	29.02.2016	02.03.2016	68.85	31.03.2016	68.85	29 दिवस
5.	31.12.2015	03.01.2016	6.51	26.02.2016	6.51	एक माह 23 दिवस

(स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

अन्य राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की प्राप्तियों में सामयिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका था क्योंकि अभिकरणों ने देय दिनांक एवं राज्य सरकार से प्राप्त की जाने वाली राशि को प्रस्तुत नहीं किया था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2011-16 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी चित्रित की गई हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2011-12 में ₹ 62,604 करोड़ से 2015-16 में ₹ 1,05,511 करोड़ तक 69 प्रतिशत की वृद्धि 15.37 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर से हुई। 2015-16 के दौरान संवृद्धि दर 2014-15 में 17.02 के विरुद्ध 19.03 प्रतिशत थी। हालांकि 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया, यह 2014-15 के दौरान 53 प्रतिशत की तुलना में कम था। वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (38 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (आठ प्रतिशत) समाविष्ट था। निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रही थी एवं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर पर्याप्त उपाय किए गए थे।
- वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 38 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि 2011-12 से 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संघटकों अर्थात् करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत के मध्य रहा।
- जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है कि 2006-07 से 2014-15 के दौरान मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों की संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर सामान्य श्रेणी के राज्यों से उच्चतर थी।

तालिका 1.7: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	62,604	70,427	75,749	88,641	1,05,511
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.73	12.50	7.56	17.02	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.93	13.38	9.71	8.99	9.97
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.84	18.49	17.38	18.29	18.67
उत्प्लावकता अनुपात ³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.05	0.60	0.52	1.52	1.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.31	0.65	0.67	0.80	0.60
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.80	0.93	0.78	1.89	1.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित जानकारी) वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2011-12 से 2014-15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता भी पुनरीक्षित कर दी गई है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके।

तालिका 1.7 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2011-12 में 19.84 प्रतिशत से 2015-16 में 18.67 प्रतिशत की कमी अन्तरवर्षीय परिवर्तनों के साथ आई।
- 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 20.73 प्रतिशत से 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की लगातार कमी आई एवं उसके पश्चात् 2014-15 में 17.02 प्रतिशत एवं 2015-16 में 19.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015-16 में

³ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

वृद्धि मुख्यतः स्वयं के कर राजस्व एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में वृद्धि के कारण थी।

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में 11.19 प्रतिशत (2014-15) से 16.62 प्रतिशत (2015-16) वृद्धि होने के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 1.52 एवं 0.80) की तुलना में 2015-16 (क्रमशः 1.15 एवं 0.60) में कमी आई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां एवं संवृद्धि दर क्रमशः तालिका 1.8 एवं तालिका 1.9 में दी गई हैं।

तालिका 1.8: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

	चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2015-16	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	49,780	40,910	43,448	40,214
करेत्तर राजस्व	12,696	9,707	10,124	8,569

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2015-16 तथा 2016-17 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

तालिका 1.9: 2011-16 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कर राजस्व	26,973	30,582	33,552	36,567	40,214
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	25.93	13.38	9.71	8.99	9.97
करेत्तर राजस्व	7,483	7,000	7,705	10,375	8,569
संवृद्धि दर (प्रतिशत)	30.82	-6.45	10.07	34.65	-17.41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यह स्पष्ट है कि वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,647 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि करेत्तर राजस्व में ₹ 1,806 करोड़ की कमी आई। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी। कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों की तुलना में थोड़ी कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण को तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: राज्य के कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	12,517	14,856	16,650	18,136	19,806	9.21
राज्य उत्पाद शुल्क	4,317	5,078	5,907	6,696	7,923	18.32

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
वाहन कर	1,357	1,531	1,599	1,824	1,933	5.98
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,284	3,944	3,400	3,893	3,868	-0.64
भू-राजस्व	279	444	366	243	277	13.99
माल तथा यात्री पर कर	2,047	2,395	2,579	2,686	3,085	14.85
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,773	1,478	1,972	2,010	2,258	12.34
अन्य कर	1,399	856	1,079	1,079	1,064	(-)1.39
कुल कर राजस्व	26,973	30,582	33,552	36,567	40,214	(+)9.97

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान 9.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015-16 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.25 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (19.70 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (9.62 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (7.67 प्रतिशत), विद्युत पर शुल्क पर कर (5.61 प्रतिशत) एवं वाहन कर (4.81 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 1,670 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण उप शीर्ष 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां (₹ 1,575 करोड़ से) थी। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,227 करोड़ से) मुख्यतः '800-अन्य प्राप्तियां', के अंतर्गत थी। माल तथा यात्री कर (₹ 399 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि उप शीर्ष 106-माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (₹ 450 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे उप शीर्ष 102-सड़कों पर पथकर (₹ 85 करोड़ से) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ की थोड़ी सी कमी देखी गई।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

स. क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	
						संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2014-15	19,500.00	18,135.96	144.81	0.80	0.88
		2015-16	21,300.00	19,806.15	144.28	0.73	0.91
2.	वाहन कर	2014-15	2,000.00	1,823.84	42.67	2.34	6.25
		2015-16	2,300.00	1,933.57	63.67	3.30	6.08
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2014-15	6,730.00	6,695.54	1,233.87	18.43	1.81
		2015-16	7,800.00	7,922.84	1,554.53	19.62	2.09
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2014-15	4,000.00	3,892.77	102.96	2.64	3.37
		2015-16	4,700.00	3,867.69	119.89	3.10	3.59

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. द्वारा संकलित जानकारी)

- यह देखा जा सकता है कि 2015-16 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत से अधिक था। यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के संबंध में संग्रहण लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।
- 2015-16 के दौरान करों अर्थात् बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहन कर तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण बजट अनुमानों से कम था, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

राजस्व शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2015-16 के दौरान प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी(-)
ब्याज प्राप्तियां	1,571	301	318	1,261	429	(-)65.98
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,038	2,443	2,306	2,814	3,060	(+)8.74
वानिकी तथा वन्य प्राणी	879	910	1,037	969	1,002	(+)3.41
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,551	1,682	2,008	3,276	1,292	(-)60.56
लाभांश एवं लाभ	38	18	379	80	130	(+)62.50
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	1,406	1,646	1,657	1,975	2,656	(+)34.48
योग	7,483	7,000	7,705	10,375	8,569	(-)17.41

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2014-15 में ₹ 10,375 करोड़ से 2015-16 में ₹ 8,569 करोड़ तक, ₹ 1,806 करोड़ की कमी हुई, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,984 करोड़ से) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 832 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी थी।
- 2015-16 के दौरान, करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (35.71 प्रतिशत) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (15.08 प्रतिशत) एवं वानिकी एवं वन्य प्राणी (11.69 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी राशि ऋण अधित्याग के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

तालिका 1.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयोजनेत्तर अनुदान	2,114	333	3,540	4,425	3,990
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,215	7,099	5,536	9,011	13,371
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	364	500	153	1,263	359
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	3,236	4,108	2,548	2,893	610
विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	9,929	12,040	11,777	17,592	18,330
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	9.39	21.26	(-) 2.18	49.38	4.19
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	15.86	17.10	15.55	19.85	17.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2011-12 में ₹ 9,929 करोड़ से 2015-16 में ₹ 18,330 करोड़ (84.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः आयोजनेत्तर अनुदान (88.74 प्रतिशत) एवं राज्य आयोजनागत योजनाओं (217.22 प्रतिशत) के कारण हुई।

2015-16 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 738 करोड़ की थोड़ी सी वृद्धि हुई जिसका कारण राज्य आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 4,360 करोड़ की वृद्धि थी जो कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 2,283 करोड़ एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में ₹ 904 करोड़ की कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2015-16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ के केन्द्रीय कर अंतरण वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 30,450 करोड़ से अत्यधिक अधिक थी। इसमें 2014-15 में ₹ 24,107 करोड़ से ₹ 14,291 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 3,660 करोड़ से), सेवा कर (₹ 3,102 करोड़ से), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 2,899 करोड़ से) एवं निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 2,389 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार के लिए, चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। वर्ष 2015-16 के लिए वित्त लेखों के विवरण पत्रक क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹ 2,866.55 करोड़ (₹ 2,208.80 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-104-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान एवं ₹ 657.75 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601-01-109-राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान) के वित्त आयोग अनुदान प्राप्त किए थे। तेरहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2014-15 तक थी, तथापि राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग वर्ष 2015-16 के दौरान भी किया था। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की स्थिति, जहाँ वर्ष 2015-16 के लिए कुल बजट प्रावधान या व्यय ₹ 10 लाख या उससे अधिक था, परिशिष्ट 1.7 में दी गई है जिससे निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- कुल बजट प्रावधान ₹ 4,122.35 करोड़ में से, ₹ 111.94 करोड़, कुल प्रावधान का 2.72 प्रतिशत उपयोग किया गया था एवं वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 35.04 करोड़ को समर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 4,010.41 करोड़ की बचतें हुईं। यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदानों के उपयोग में पहल की कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान, लेखा शीर्ष 5452-01-190 के अंतर्गत योजना शीर्षों 6559, 6560, 6561, 6563, 6565, 6566, 6567, 6568 एवं 6571 में सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग किया गया था।
- कुल तीन प्रकरणों जहाँ बचतें हुई थी, में से 100 प्रतिशत बचतें शीर्ष 2070-800-7720-केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत थीं। शेष दो प्रकरणों में बचतें कुल बजट प्रावधान का 23.05 प्रतिशत एवं 48.14 प्रतिशत थीं।
- शीर्ष 4235-02-102-5360-आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण के अंतर्गत प्रत्याशित बचतें ₹ 37.03 करोड़ के विरुद्ध ₹ 37.57 करोड़ समर्पित किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ का आधिक्य समर्पण हुआ जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

1.3.5 वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना

तेरहवें वित्त की अवधि 31 मार्च 2015 तक थी एवं चौदहवें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ हुई थी। तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य के अंश को 32 प्रतिशत करने की अनुशंसा की थी जिसे चौदहवें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुशंसा की। राज्य की राजस्व प्राप्तियों पर चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभाव अभिनिश्चित करने के लिए, वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना तालिका 1.14 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.14: वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना

(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	अंतरण	वर्ष 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	वर्ष 2015-16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान
1	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश/करों का हस्तांतरण	24,106.99	38,397.84
2	स्थानीय निकाय	1,721.50	1,960.40
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,224.01	1,463.61
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य मूल अनुदान	728.32	1,463.61
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	495.69	-
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	444.49	496.79
	सामान्य मूल अनुदान	264.48	496.79
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	180.01	-
	स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	53.00	-
3	राज्य आपदा राहत निधि	477.39	877.00
4	क्षमता निर्माण	5.00	-
5	परिणामी अनुदान में सुधार	141.42	-
	(i) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	-
	(ii) आधार कार्ड को जारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि	49.94	-
	(iii) राज्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार	10.00	-
6	वनों का संरक्षण	122.58	-
7	जल क्षेत्र प्रबंधन	37.00	-
8	प्राथमिक शिक्षा	537.00	-
9	सड़कें एवं पुल	307.00	-
10	राज्य विशिष्ट अनुदान	307.75	-
	योग	27,763.63	41,235.24

(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा)

तालिका 1.14 स्पष्ट है कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तान्तरण में तेरहवें वित्त आयोग की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य का अंश ₹ 38,398 करोड़ था इसमें विगत वर्ष (₹ 24,107 करोड़) की तुलना में 59.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी एवं 2015-16 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 36.39 प्रतिशत था।

1.3.6 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2016 को तीन विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण तालिका 1.15 में दिए गए हैं। अन्य तीन राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है।

तालिका 1.15: कर का अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31.03.2015 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2015-16 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं अतिरिक्त मांग बढ़ाई गई शास्ति सहित		31.03.2016 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	340	354	694	333	677.09	361
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	15,244	14,773	30,017	11,403	69.79	18,614
खनन प्राप्तियां	722	13,314	14,036	12,191	4,853.86	1,845
योग	16,306	28,441	44,747	23,927	5,600.74	20,820

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. द्वारा संधारित जानकारी)

1.3.7 'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर' उपकर जो कि निरर्थक/अप्रयुक्त रहा

मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की कंडिका 9 के अनुसार, खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के विक्रय, दान, भोगबंधक या तीस या अधिक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा करने पर स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, पांच प्रतिशत की दर से उपकर प्रभारित, उद्गृहीत एवं संदत्त किया जाएगा। उपकर प्राप्ति का ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण' से एकत्रित उपकर का उपयोग, जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया था, के लिए किया जा रहा है यह अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से उपकर एकत्रित करने के लिए उत्तरदाई महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश से जानकारी मांगी गई थी। महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी तालिका 1.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.16: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर एकत्रित उपकर जो कि निरर्थक/अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एकत्रित उपकर	उपयोग के लिए जारी उपकर	जारी करने के पश्चात अप्रयुक्त शेष उपकर
2011-12	89.13	85.30	3.83
2012-13	84.72	84.72	-
2013-14	71.54	71.54	-
2014-15	67.66	-	-
2015-16	54.04	-	-
योग	367.09	241.56	3.83

(स्रोत: महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त जानकारी)

तालिका 1.16 से देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 'खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण' से उपकर के रूप में ₹ 367.09 करोड़ एकत्रित किए गए थे। तथापि केवल ₹ 241.56 करोड़ उपयोग के लिए जारी किए गए थे एवं ₹ 125.53 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे। उपयोग के लिए जारी किए गए ₹ 241.56 करोड़ में से, ₹ 3.83 करोड़ नवम्बर 2016 को अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इससे ग्रामीण विकास विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एकत्रित उपकर का कम उपयोग दर्शाता है।

₹ 3.83 करोड़ अप्रयुक्त रखने एवं 2014-15 के दौरान एकत्रित उपकर को उपयोग के लिए जारी नहीं करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर महानिरीक्षक एवं स्टाम्प

अधीक्षक, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि ₹ 3.83 करोड़ ग्रामीण विकास निधि को अंतरण करने एवं 2014-15 के दौरान एकत्रित उपकर को उपयोग के लिए जारी करने संबंधी प्रस्ताव सरकार को क्रमशः 8 अप्रैल 2013 एवं 14 जनवरी 2016 को भेजे गए थे लेकिन दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2016)। 2015-16 के दौरान एकत्रित उपकर के संबंध में महानिरीक्षक एवं स्टाम्प अधीक्षक, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

तालिका 1.17 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पूंजीगत प्राप्तियां	15,899	8,864	9,672	21,863	20,175
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	9,149	73	131	6,794	190
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	23	31	36	28	26
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3	9	2	1	2
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	9,123	33	93	6,765	162
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	6,750	8,791	9,541	15,069	19,985
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	102.25	-44.25	9.12	126.04	-7.72
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	2,170.22	-99.20	79.45	5,086.26	-97.20
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-9.49	30.24	8.53	57.94	32.62
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों के विनिवेश में 2014-15 में ₹ 22.22 करोड़ से 2015-16 में ₹ 20.87 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

2015-16 के दौरान ₹ 162.32 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 30.84 करोड़) से बहुत अधिक रही। यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में ₹ 6,603 करोड़ की अत्यधिक कमी थी क्योंकि 2014-15 के दौरान कर्ज की वसूली असामान्यता बहुत अधिक थी जिसका मुख्य कारण 'विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण' राशि ₹ 6,694 करोड़ की वसूली था।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्तियां

लोक ऋण प्राप्तियों में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित होते हैं। 2015-16 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में 2014-15 में ₹ 15,069 करोड़ से ₹ 19,985 करोड़, ₹ 4,916 करोड़ की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 4,963 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋणों में 2014-15 में ₹ 13,696 करोड़ से 2015-16 में ₹ 18,659 करोड़ तक की वृद्धि के कारण हुई थी। 2015-16 के दौरान बाजार कर्ज (₹ 14,700 करोड़), लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 19,985 करोड़) का मुख्य अंशदाता (74 प्रतिशत) था।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2014-15 में ₹ 1,372 करोड़ से 2015-16 में ₹ 1,326 करोड़, ₹ 46 करोड़ की अंशतः कमी आई।

1.5 लोक लेखे प्राप्तियां

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह अपने लिए उपयोग करती है।

2011-16 के दौरान लोक लेखे प्राप्तियों के संबंध में प्रवृत्तियों को तालिका 1.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: लोक लेखे प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

	(₹ करोड़ में)				
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
लोक लेखे प्राप्तियां (सकल)	76,315	86,248	94,811	1,10,295	1,32,772
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,033	2,319	2,784	3,143	3,498
(ख) आरक्षित निधि	1,534	2,441	1,612	1,172	2,719
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,872	6,502	10,369	16,349	23,349
(घ) उचंत एवं विविध	50,620	59,819	64,444	76,099	87,338
(ङ) प्रेषण	12,256	15,167	15,602	13,532	15,868

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


लोक लेखे प्राप्तियों (सकल) में 2014-15 में ₹ 1,10,295 करोड़ से 2015-16 में ₹ 1,32,772 करोड़, ₹ 22,477 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः उचंत तथा विविध (₹ 11,239 करोड़ से) तथा जमा एवं अग्रिमों (₹ 7,000 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर जारी राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2011-16) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भुगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011-16 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 42,253 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 47,077 करोड़ (89 प्रतिशत) एवं ₹ 7,780 करोड़ (86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2015-16 के दौरान, 2014-15 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 12,979 करोड़ (12 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 17,398 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

2015-16 के दौरान कुल आयोजना व्यय⁴ एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय⁵ में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 8,946 करोड़ तथा ₹ 4,033 करोड़ की वृद्धि हुई। 2015-16 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 41 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 5,293 करोड़ से), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 2,997 करोड़ से) एवं ऊर्जा (₹ 2,113 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

2015-16 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 12,461 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2015-16 में कुल व्यय (₹ 1,19,766 करोड़) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) से पूरा किया जा सका था।

⁴ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।

⁵ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि चार्ट 1.8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2011-12 में 68 प्रतिशत से 2015-16 में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2011-12 में 12 प्रतिशत से 2015-16 में 14 प्रतिशत की अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ वृद्धि हुई।




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- चार्ट 1.9 में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित), सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में क्रमशः 2011-12 में 21.16 प्रतिशत से 2015-16 में 21.92 प्रतिशत, 2011-12 में 28.25 प्रतिशत से 2015-16 में 38.14 प्रतिशत एवं 2011-12 में 26.13 प्रतिशत से 2015-16 में 32.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2011-12 में 54.38 प्रतिशत से 2015-16 में 70.52 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।
- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2011-12 में 4.13 प्रतिशत से 2015-16 में 4.92 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव सहित वृद्धि हुई।
- 2014-15 को छोड़कर कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2011-12 में 20.33 प्रतिशत से 2015-16 में 2.64 प्रतिशत की लगातार कमी आई।

1.6.2 पूंजीगत व्यय की संवृद्धि की प्रवृत्ति

- पूंजीगत व्यय में 2011-12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015-16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ हुई। 2015-16 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।
- **चार्ट 1.10** पिछले पांच वर्षों (2011-16) की अवधि में पूंजीगत व्यय की संवृद्धि में प्रवृत्ति को दर्शाता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.10 से देखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर में 2011-16 की अवधि के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई इसमें 2011-12 में 2.9 प्रतिशत से 2012-13 में 27.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं इसके पश्चात 2013-14 में ऋणात्मक (Minus) 6.52 प्रतिशत की कमी आई। इसके पश्चात 2014-15 में 9.85 प्रतिशत एवं 2015-16 में 41.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **चार्ट 1.11** 2011-16 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों से अधिक था लेकिन उसके पश्चात पूंजीगत व्यय बजट प्रक्षेपणों से कम था। चूंकि बजट अनुमानों में सटीकता का महत्व, सकल आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन माना जाता है, बजट अनुमानों से विचलन इस तथ्य को दर्शाता है कि अनुमानों के दौरान समुचित ध्यान नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वांछित राजकोषीय उद्देश्य प्राप्त नहीं किए गए थे एवं उनका अधिकतम उपयोग नहीं किया गया था।

- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सरकार पूंजीगत व्यय के निधिकरण हेतु राजस्व आधिक्य का उपयोग करेगी एवं पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता के लिए मानदण्ड निर्धारित करेगी एवं आर्थिक संवृद्धि, गरीबी में कमी एवं मानव कल्याण में सुधार के लिए संवेग उपलब्ध कराने वाली व्यय नीतियों को आगे बढ़ाएगी।

इस बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने उत्तर (अगस्त 2016) दिया कि राज्य में पिछले 10 वर्षों से आधिक्य था एवं राजस्व आधिक्य, पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने में उपयोग किया जा रहा था, जैसा कि योजना के अनुसार विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तथ्य यह है कि पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने के बावजूद पूंजीगत व्यय में संवृद्धि बजट अनुमानों में की गई योजनाओं के अनुसार नहीं थी।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ से 2015-16 में ₹ 99,771 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 17.32 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 17,398 करोड़ (21.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2015-16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 68,319 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था।
- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 213 करोड़ से) राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से अंशतः अधिक था जैसा कि तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
2015-16	68,106	68,319

(स्रोत: 2015-16 के वित्त लेखे एवं 2015-16 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ से 2015-16 में ₹ 68,319 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 16.40 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

- 2015-16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ से वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2011-16 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2015-16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,937 करोड़ (18.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2015-16 में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 2,242 करोड़ से), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 2,196 करोड़ से) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 765 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे ग्रामीण विकास (₹ 1,092 करोड़ से) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

1.6.4 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। तालिका 1.20 एवं चार्ट 1.12 2011-16 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।


तालिका 1.20: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	18,361 (24.24)	19,997 (22.56)	27,300	20,554 (19.48)
आयोजनेत्तर शीर्ष	12,274	14,133	16,081	17,285	--	18,018
आयोजना शीर्ष**	1,839	1,893	2,280	2,712	--	2,536
ब्याज अदायगियां	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,391 (8.44)	7,071 (7.98)	8,058	8,091 (7.67)
पेंशन भुगतान	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	5,932 (7.83)	6,836 (7.71)	8,261	7,819 (7.41)
राजसहायता, जिसमें	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	6,567 (8.67)	9,954 (11.23)	46,863	11,725 (11.11)
आयोजनेत्तर शीर्ष	1,544	4,148	4,596	6,953	--	7,950
आयोजना शीर्ष	1,382	1,549	1,971	3,001	--	3,775
योग	26,728 (43)	32,244 (46)	37,251 (49)	43,858 (49)	90,482	48,189 (46)

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

**आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन भुगतान किए वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)

2015-16 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राजसहायताओं पर कुल व्यय (₹ 48,189 करोड़) राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में यह 2011-16 की अवधि के दौरान 43 से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 2011-16 की अवधि के दौरान, 15.29 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से, 80 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2014-15 के दौरान 17.74 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 9.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.6.4.1 वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2011-12 में ₹ 14,113 करोड़ से 2015-16 में ₹ 20,554 करोड़ तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015-16 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 27,300 करोड़) से कम था। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 19.48 प्रतिशत एवं 24.24 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015-16 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 19.48 प्रतिशत था।

1.6.4.2 पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2011-12 में ₹ 4,389 करोड़ से 2015-16 के दौरान ₹ 7,819 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 में ₹ 983 करोड़ (14 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 416 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 326 करोड़ से) एवं उपदान (₹ 112 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी। 2015-16 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 7,819 करोड़, बजट अनुमान ₹ 8,261 करोड़ से अंशतः (5.35 प्रतिशत से) कम था।

अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरूप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरूप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य

शीर्ष “0071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली” के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्त करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान उक्त मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघुशीर्ष ‘900—वापसी घटाइए’ संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2015-16 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 264.29 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 284.92 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2015-16 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 549.21 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2016 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को केवल ₹ 530.39 करोड़ अंतरित किए थे, परिणामस्वरूप ₹ 18.82 करोड़ का कम अंतरण हुआ था। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई, यदि आवश्यक हुयी, की जाएगी।

1.6.4.3 ब्याज अदायगियां

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान तालिका 1.21 में दिए गए हैं।

तालिका 1.21: ब्याज अदायगियां

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ब्याज अदायगियां	5,300	5,574	6,391	7,071	8,091

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2015-16 के दौरान ₹ 8,091 करोड़ की ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 7.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय की 8.11 प्रतिशत लेखांकित की गई थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,891 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,854 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 1,072 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 538 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 1,020 करोड़ (14.43 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 735 करोड़ से), राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 99 करोड़ से) एवं राज्य भविष्य निधि (₹ 95 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 8,091 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 8,058 करोड़ से थोड़ी सी उच्च थी।

1.6.4.4 राजसहायताएं

2015-16 के दौरान, ₹ 11,725 करोड़ (आयोजनेत्तर: ₹ 7,950 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 3,775 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 11.11 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 11.75 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

2015-16 के दौरान, कुल ₹ 11,725 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 7,052 करोड़ (60 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2015-16 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 46,863 करोड़ से अत्यधिक कम थी।

2015-16 में विगत वर्ष की तुलना में राजसहायता की राशि में वृद्धि (₹ 1,771 करोड़ से) मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,128 करोड़ से) में राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई जिसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (₹ 1,269 करोड़ से) में अंशतः कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.22 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.22: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16
शैक्षणिक संस्थाएं	4,457.99	5,465.29
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	792.14	828.87
आवास	829.19	1,019.60
नगरीय विकास	565.49	1,439.19
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	500.28	520.64
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	687.16	1,054.36
ग्रामीण विकास	5,941.93	5,368.29
पंचायती राज	3,995.44	5,633.30
जल आपूर्ति तथा सफाई	179.35	590.48
अन्य संस्थाएं	718.82	735.50
योग	18,667.79	22,655.52
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	22.66	22.71

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आकड़े)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2014-15 में ₹ 18,667.79 करोड़ से 2015-16 में ₹ 22,655.52 करोड़ तक ₹ 3,987.73 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः पंचायती राज (₹ 1,637.86 करोड़ से) एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 1,007.30 करोड़ से) को वित्तीय सहायता के कारण हुई।
- राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2014-15 में 22.66 प्रतिशत से 2015-16 में 22.71 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.6.6 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यों व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार⁶ से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 379 नगरीय स्थानीय निकाय⁷ एवं 23189 पंचायती राज संस्थाएं⁸ हैं।

1.6.6.1 निधियों, कार्यों एवं अमले का अंतरण

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण परिशिष्ट 1.8 में दिया गया है। यद्यपि राज्य

⁶ नगरीय स्थानीय निकायः- बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएं:-जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत

⁷ नगरीय स्थानीय निकायः-16 नगर पालिका निगम, 98 नगर पालिका परिषद, 265 नगर परिषद

⁸ पंचायती राज संस्थाएं:-51 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 22825 ग्राम पंचायतें

सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे तथापि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी। सरकार द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया (अगस्त 2016)।

1.6.6.2 नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

जैसा कि तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई एवं राज्य सरकार द्वारा इसे फरवरी 2010 में स्वीकार किया गया था, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁹ का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015-16 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि तालिका 1.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी की गई निधियां	पंचायती राज संस्थान		कम जारी की गई निधियां
	निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां		निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां	
1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)
2015-16	289.45	271.31	18.14	1,157.78	910.00	247.78

(₹ करोड़ में)

उपर्युक्त तालिका 1.23 से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने 2015-16 में नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 18.14 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 247.78 करोड़ की कम निधियां जारी की। नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को कम निधियां जारी करने के कारण सूचित नहीं किए गए थे (अगस्त 2016)।

1.6.6.3 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2015-16 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 6303 अभ्युक्तियां (2015-16 के दौरान जारी 1023 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 34697 अभ्युक्तियां (2015-16 के दौरान जारी 9786 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1.6.6.4 प्रतिवेदन का स्थानन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश विधान सभा के पटल पर रख दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और उसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

⁹ विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को सौंपे गए सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए उक्त व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.24 में 2012-13, 2014-15 एवं वर्तमान वर्ष 2015-16 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.24: 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय# / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	14.14	70.03	38.47	29.70	13.70	17.72	4.72
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	20.98	72.45	32.69	39.75	14.47	13.82	4.14
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	14.81	70.74	37.35	33.37	14.37	17.01	5.13
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	22.04	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	16.05	70.63	36.29	34.34	14.89	15.63	4.45
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015-16	21.20	73.15	38.17	34.99	14.06	14.89	4.55

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा सवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।
 स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 29 जुलाई 2016 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जहां आंकड़े प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे को छोड़कर।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।
- 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 में मध्य प्रदेश में आर्थिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर रहा है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) 2015-16 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से उच्चतर था जबकि 2012-13 एवं 2014-15 में यह सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्न था।
- 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान, शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी क्योंकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर व्यय किया गया था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई थी तथापि

2015-16 में यह सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में थोड़ा सा उच्चतर थी।

- यह देखा गया कि मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से 2012-13 के दौरान उच्चतर था। जबकि 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान यह सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से निम्नतर था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स)¹⁰ तथा उपयोगी पदार्थों (मेरिट गुड्स) के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹¹ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.25 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.25: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता (प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2014-15			2015-16		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	1.95	43.73	0.05	4.25	42.93	0.04
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.05	51.24	0.21	4.14	46.27	0.16
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	24.97	3.51	2.99	19.58	4.64	4.99
अन्य सामाजिक सेवाएं	4.93	27.66	0.07	3.51	6.81	0.02
योग (सामाजिक सेवाएं)	6.06	33.05	0.81	6.62	25.77	0.78
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	1.94	30.63	0.16	1.49	31.80	0.15
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	83.00	62.96	7.31	91.00	84.33	10.73
विद्युत तथा ऊर्जा	5.10	0.01	0.03	5.30	0.01	0.07
परिवहन	69.05	1.66	14.13	73.63	6.33	62.51
अन्य आर्थिक सेवाएं	14.75	45.59	13.29	23.52	6.62	3.02
योग (आर्थिक सेवाएं)	20.86	15.79	4.09	31.65	14.03	4.35
योग (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	14.54	25.71	2.21	18.59	21.38	2.12

(ध्यात: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

¹⁰ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि। मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखी जाती है। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹¹ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

तालिका 1.25 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014-15 में 6.06 प्रतिशत से 2015-16 में 6.62 प्रतिशत की अंशतः वृद्धि हुई, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय के अंश में 2014-15 में 20.86 प्रतिशत से 2015-16 में 31.65 प्रतिशत तक की अत्यधिक वृद्धि हुई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हुई थी, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत थी। इससे यह दर्शित हुआ कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता में सुधार किया जा रहा था।
- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2014-15 में 25.71 प्रतिशत से 2015-16 में 21.38 प्रतिशत की कमी आई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2014-15 में 2.21 प्रतिशत से 2015-16 में 2.12 प्रतिशत की कमी आई। इससे राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शित हुआ।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, 2006-15 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश के संबंध में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी।

2015-16 की अवधि के दौरान, शिक्षा क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में निम्नतर थी जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी। इससे शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में सुधार की आवश्यकता दर्शित हुई।

1.8 शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

31 मार्च 2016 तक सरकार ने सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी (130) इत्यादि में ₹ 16,599.57 करोड़ निवेश किए (**तालिका 1.26**)। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.84 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान इनकी उधारियों पर औसत 6.76 प्रतिशत ब्याज के रूप में भुगतान किया।

तालिका 1.26: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
वर्ष के अन्त में निवेश	13,183.59	14,656.50	15,275.10	16,104.55	16,599.57
प्रतिलाभ	37.98	18.38	378.72	80.35	129.64
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.29	0.13	2.48	0.50	0.78
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.74	6.48	6.84	6.88	6.86
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.45	6.35	4.36	6.38	6.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- मार्च 2016 के अन्त तक 215 इकाईयों में ₹ 16,599.57 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगम: ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँ: ₹ 180.49 करोड़; सहकारी बैंक एवं समितियाँ: ₹ 483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ: ₹ 1.54 करोड़)।
- 2015-16 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.78 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.86 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2015-16 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रहीं थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया था। विवरण **परिशिष्ट 1.9** में दिए गए हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों (प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ या अधिक) से संबंधित विभागवार जानकारी **तालिका 1.27** में दी गई है।

तालिका 1.27: 31 मार्च 2016 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

स. क्र.	विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	वास्तविक संचयी लागत
1	जल संसाधन विभाग	58	3,725.23	4,546.26
2	लोक निर्माण विभाग	19	538.51	121.61
3	नर्मदा घाटी विकास विभाग	14	4,411.50	10,808.81
योग		91	8,675.24	15,476.68

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के लिए वित्त लेखों का परिशिष्ट IX एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 15,476.68 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद मार्च 2016 तक 91 परियोजनाओं/कार्य अपूर्ण थे। 91 परियोजनाओं/कार्यों में से 20 परियोजनाओं/कार्यों के पूर्ण होने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 9,073.99 करोड़ की लागत वृद्धि हुई जिससे उपयुक्त अनुवीक्षण की कमी दर्शित हुई।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि सभी परियोजनाओं निर्माणाधीन थी। तथापि परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब निविदा प्रक्रिया के कारण हुआ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए बहुमूल्य राजकोषीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार डेयरी, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, सड़क, खेलकूद, पर्यटन, परिवहन, नगरीय, माल भण्डारण, प्रचलन तंत्र एवं जल आपूर्ति इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि जून 2016 तक 12 क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 198 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 23,069.98 करोड़) में से, ₹ 9,463.64 करोड़

की लागत की केवल 100 परियोजनाओं (50.51 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 8,266.33 करोड़ लागत वाली 43 परियोजनाओं (21.72 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था, ₹ 5,340.01 करोड़ लागत वाली 55 परियोजनाएं (27.78 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थीं। विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। तालिका 1.28 31 मार्च 2016 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.28: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	27,088	32,072	--	37,842
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	5,077	12,535	4,225	3,158
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	93	6,765	301	162
अन्त शेष	32,072	37,842	--	40,838
निवल संयोजन	4,984	5,770	3,924	2,996
ब्याज प्राप्तियां	12	1,058	--	139
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियां	0.04	2.80	--	0.34
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियां	6.84	6.88	--	6.86
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.80	4.08	--	6.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2016 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 40,838 करोड़¹² थे। इन कर्जों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 139 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज (₹ 3,158 करोड़), वसूल किए गए कर्ज (₹ 162 करोड़) की राशि से बहुत अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जों एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2016 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 83 प्रतिशत (₹ 34,010 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों संबंधित थे, पांच प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,109 करोड़) तथा पांच प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,845 करोड़) से वसूल किए जाने थे।
- 2015-16 के दौरान उधारियों पर 6.86 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.34 प्रतिशत थी।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.29 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

¹² छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं जिन्हें अंतिम रूप/अंतरित नहीं किया गया है।

तालिका 1.29: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2016 को अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी (-)
(1). सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	4,990.63	10,494.73	(+)5,504.10
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	199.32	1,009.49	(+) 810.17
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--	--
योग (i) से (iv)	199.32	1,009.49	(+) 810.17
(2). रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	4,791.31	9,485.24	(+)4,693.93
(3). अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश [(i) से (iii)]	411.33	403.99	(-)7.34
(i) विभागीय रोकड़ शेष	7.02	0.94	(-)6.08
(ii) स्थायी पेशगी	0.84	0.84	0.00
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	403.47	402.21	(-)1.26
समग्र रोकड़ स्थिति (1)+(3)	5,401.96	10,898.72	(+)5,496.76

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 5,401.96 करोड़ में 2015-16 के अंत में ₹ 5,496.76 करोड़ की वृद्धि हुई।
 - मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चैकों की राशि को दर्शाते हैं। वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष 2014-15 में ₹ 593.12 करोड़ की तुलना में 2015-16 में ₹ 2,076.01 करोड़ था।
 - भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि निश्चित करार की न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
 - तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि अधिक शेषों वाले राज्यों को नई उधारियां लेने से पहले अपने वर्तमान रोकड़ शेषों का उपयोग करने हेतु प्रत्यक्ष प्रयास करने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया गया कि ऋण विनिमय (debt swap) के लिए उठाई गई बाजार उधारियों के एकमुश्त पुनर्भुगतान के लिए अपने आधिक्य शेषों का उपयोग करने का विचार करें।
- वित्त लेखे 2015-16 के अनुसार, भारत सरकार के खजाना बिलों एवं प्रतिभूतियों में ₹ 9,485.24 करोड़ निवेश किए गए थे जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 251 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेष निवेश लेखा में किए गए निवेश में 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः राज्य सरकार को जरूरत आधारित उधारी एवं न्यूनतम आधिक्य रोकड़ शेष बनाए रखने की नीति अपनाना चाहिए।
- निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार द्वारा सभी उधारियां केवल जरूरत आधारित एवं निर्धारित सीमा के अन्दर थी। राज्य सरकार रोकड़ प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक से सतत रूप से सम्पर्क में थी एवं कैश रिजर्व को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखने के प्रयास किए गए थे।

तथ्य यह है कि इन वित्त वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखे में किए गए उच्च स्तर के निवेश यह दर्शाते हैं कि बेहतर रोकड़ प्रबंधन की आवश्यकता है।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।

इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2015 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2016 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

विगत पांच वर्षों के लिए राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **तालिका 1.30** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.30: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति


	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	81,757	90,168	96,826	1,08,688	1,27,144
आन्तरिक ऋण	50,011	54,309	59,395	69,008	83,718
कर्ज तथा अग्रिम	11,359	12,268	12,718	13,254	13,668
लोक लेखा देयताएं	20,387	23,591	24,713	26,426	29,758
राजस्व प्राप्तियां	62,604	70,427	75,749	88,641	1,05,511
राजस्व प्राप्तियां की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	20.73	12.50	7.56	17.02	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
राजकोषीय देयताएं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	8.28	10.29	7.38	12.25	16.98
उत्प्लावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.05	0.60	0.53	1.52	1.15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.42	0.50	0.51	1.09	1.02

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2011-12 में ₹81,757 करोड़ से 2015-16 में ₹1,27,144 करोड़ तक की वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014-15 में 12.25 प्रतिशत के

विरुद्ध 2015-16 में 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹12,991 करोड़ से), वित्तीय संस्थानों से कर्ज (₹1,159 करोड़ से) एवं राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹922 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

चार्ट 1.13 2011-16 की अवधि के दौरान बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.31 वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.31: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	नाम	2014-15	2015-16
1.	समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)	82,262	97,386
(i)	बाजार कर्ज	43,150	56,141
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	19,260	20,181
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र का जारी करना	691	331
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	5,512	6,673
(v)	अन्य कर्ज	395	392
(vi)	योग (i) से (v)	69,008	83,718
(vii)	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	13,254	13,668
2.	लोक लेखा देयताएं	26,426	29,758
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	12,659	13,682
(ii)	सब्याज दायित्व	161	803
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	13,606	15,273

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौदहवें वित्त आयोग में निर्धारित 24.87 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2015-16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी। ये राजस्व प्राप्तियों की 1.21 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.61 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता, 2011-12 में 0.42 से बढ़कर 2015-16 के दौरान 1.02 हो गई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में वृद्धि के कारण थी।

1.9.3 समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना

बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट की कंडिका क्रमांक 12.59 में अनुशंसा की कि राज्यों को, समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में समेकित निक्षेप निधि में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान देना आवश्यक है।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,08,686.71 करोड़ की कुल बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को समेकित निक्षेप निधि में ₹ 543.43 करोड़ का अंशदान देना आवश्यक था। तथापि राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि यदि निक्षेप निधि की स्थापना आवश्यक होती है तो इस पर निर्णय लिया जाएगा।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति— आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूतियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए प्रत्याभूति देती है। प्रत्याभूतियों के संस्वीकृति के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूतियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल प्रत्याभूतियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2015-16 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक प्रत्याभूति, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 में दर्ज अनुसार, राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया प्रत्याभूतियां तालिका 1.32 में दी गई है।

तालिका 1.32: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियों का विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	21,472.12	31,884.57	40,170.97
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	9,977.62	20,124.25	27,530.40
वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	56,341.60	60,599.39	70,912.80
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	28.35	35.97	38.07
पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया प्रत्याभूति की प्रतिशतता	14.17	26.57	31.06
प्राप्त प्रत्याभूति या शुल्क	102.86	171.81	127.33
प्राप्त प्रत्याभूति या शुल्क	2.50	5.29	14.21

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (57), सहकारिता क्षेत्र (10), राज्य वित्तीय निगम क्षेत्र (25), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (446) तथा अन्य अधोसंरचना (95) के संबंध

में प्रत्याभूतियां दी गई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी प्रत्याभूति दी गई थी, में ₹ 8,286.40 करोड़ की अत्यधिक वृद्धि हुई।

प्रत्याभूति मोचन निधि

वर्ष 2005-06 के दौरान, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2015-16 की समाप्ति पर ₹ 394.58 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि निवेशित की गई।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से एक प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाती है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो। इस तरह वसूल किया गया शुल्क सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 127.33 करोड़ में से ₹ 14.21 करोड़ (11.16 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे और शासकीय लेखों में जमा किए गए थे। 2015-16 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति याचित नहीं हुई।

मध्य प्रदेश शासन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2006 के अनुसार प्रत्येक वर्ष निधि में अंशदान, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य सरकार द्वारा समरूप अंशदान होना चाहिए। 2014-15 के दौरान ₹ 5.29 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया गया था इस प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य द्वारा निधि में ₹ 10.58 करोड़ का अंशदान किया जाना था लेकिन राज्य सरकार द्वारा निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य को ₹ 10.58 करोड़ अधिक बताया गया था।

1.9.5 असंचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229-200-प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2016 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले आठ वर्षों से न तो उपयोग किया गया था और न ही निवेश किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता से तात्पर्य राज्य की ऋण को चुकाने की क्षमता से है। राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता¹³ का निर्धारण करते हैं। 2011-12 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य के विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण **तालिका 1.33** में दिया गया है।

¹³ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

तालिका 1.33: ऋण संधारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

ऋण संधारणीयता के संकेतक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बकाया ऋण की संवृद्धि दर	8.28	10.29	7.38	12.25	16.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर	19.80	20.71	14.40	11.19	16.62
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	6.74	6.48	6.84	6.88	6.86
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	8.47	7.91	8.44	7.98	7.67
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां	0.68	0.57	0.71	0.67	0.63
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण (₹ करोड़ में)	955	2,838	569	4,793	10,367

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

तालिका 1.33 से प्रकट हुआ कि बकाया ऋण की संवृद्धि दर में 2011-12 में 8.28 प्रतिशत से 2015-16 में 16.98 प्रतिशत की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ हुई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 2011-12 में 19.80 प्रतिशत से 2015-16 में 16.62 प्रतिशत की कमी आई।

ब्याज एवं पुनर्भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराने के पश्चात राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण में 2011-12 में ₹ 955 करोड़ से 2015-16 में ₹ 10,367 करोड़ की वृद्धि हुई। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 7.67 प्रतिशत से 8.47 प्रतिशत के मध्य रहा। 2015-16 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 6.74 प्रतिशत की सीमा से थोड़ी सी अधिक अर्थात् 7.67 प्रतिशत थी।

1.10.2 ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की 'संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों'¹⁴ की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्तियां, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप नकारात्मक संसाधन अंतराल हुआ।

1.10.3 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁵

ऋण मोचन अनुपात ने 2011-16 की अवधि के दौरान 0.79 से 0.98 के मध्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4), जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध रहीं। वर्ष 2015-16 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹ 3,948 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्तियों (₹ 18,659 करोड़) का 21 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹ 912 करोड़) नवीन ऋण

¹⁴ संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्तियों से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है।

¹⁵ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगिया) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

प्राप्तियों ₹1,326 करोड़ का 69 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामलो में पुनर्भुगतान (₹26,206 करोड़), नवीन प्राप्तियों ₹29,539 करोड़ का 89 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों ₹18,659 करोड़ में, सरकार ने ₹14,700 करोड़ बाजार कर्ज से 8.32 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर, ₹2,014 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से, ₹1,884 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से एवं ₹61 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2014-15 में ₹1,372 करोड़ से 2015-16 में ₹1,326 करोड़ की कमी मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत 'बैंक-टू-बैंक बेसिस कर्ज' की प्राप्ति में कमी के कारण थी।

1.10.4 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.34: वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2014-15				वित्तीय वर्ष 2015-16			
	6003-आंतरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003-आंतरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	2,671.65	1,177.70	3,849.35	4.68	0.39	599.62	600.01	0.62
1-3	6,198.88	1,201.15	7,400.03	9.00	6,575.62	1,215.62	7,791.24	8.00
3-5	12,106.91	1,228.04	13,334.95	16.22	12,483.66	1,242.51	13,726.17	14.09
5-7	10,415.48	1,236.70	11,652.18	14.17	10,792.23	1,270.46	12,062.69	12.39
7-9	12,015.48	920.98	12,936.46	15.73	12,392.23	942.45	13,334.68	13.69
9-11	12,587.64	303.61	12,891.25	15.68	27,664.39	337.37	28,001.76	28.75
11-13	1,938.31	214.82	2,153.13	2.62	1,938.31	248.58	2,186.89	2.25
13-15	1,617.81	131.70	1,749.51	2.13	1,617.80	165.45	1,783.25	1.83
15 से अधिक	2,857.37	124.26	2,981.63	3.63	2,857.36	208.66	3,066.02	3.15
विविध*	6,598.15	6,714.87	13,313.02	16.16	7,396.45	7,437.29	14,833.74	15.23
योग	69,007.68	13,253.83	82,261.51		83,718.44	13,668.01	97,386.45	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है

उपरोक्त दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 35 प्रतिशत सात वर्षों के भीतर, 45 प्रतिशत सात से 13 वर्षों के मध्य तथा पाँच प्रतिशत 13 से 15 वर्षों से अधिक के मध्य पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 15 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।

1.10.5 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

योजना में निर्धारित परिचालन एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित उत्तरदायित्व अनुबंधित करने के लिए योजनांतर्गत राज्य सरकारों, वितरण कम्पनियों एवं भारत सरकार के मध्य एक अनुबंध की परिकल्पना की गई है। इस अनुबंध के पश्चात राज्य सरकारें 30 सितम्बर 2015 को वितरण कम्पनियों के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत ले लेंगी अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत।


मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2016 में वितरण कम्पनियों एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015-16 के दौरान राज्य वितरण कम्पनियों को सहायता प्रदान नहीं की थी अतः 2015-16 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे एवं बकाया देयताओं पर उदय योजना का प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ।

1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे—एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय सेहत के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों का मूल्यांकन राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रस्तुत किया गया है।

घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.14 एवं चार्ट 1.15 2011-16 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2011-12 में ₹9,910 करोड़ से 2015-16 में ₹5,740 करोड़ तक की अन्तर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ कमी आई। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹528 करोड़ की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व आधिक्य में 2011-12 में 3.14 प्रतिशत से 2015-16 में 1.02 प्रतिशत तक की कमी, राजस्व आधिक्य में गिरावट एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण थी। 2015-16 के दौरान यह बजट अनुमान 1.00 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, 2011-12 में ₹5,760 करोड़ से लगातार बढ़कर 2015-16 में ₹14,065 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹2,713 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2014-15 में 2.34 प्रतिशत से 2015-16 में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान (2.99 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 3.50 प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।
- प्राथमिक घाटा 2011-12 में ₹460 करोड़ से अत्यधिक बढ़कर अन्तर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2015-16 में ₹5,974 करोड़ हो गया।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता होता है तथा राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे के अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप तालिका 1.35 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप
(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजकोषीय घाटा	-5,760	-9,420	-9,882	-11,352	-14,065
1 राजस्व आधिक्य	9,910	7,459	5,879	6,268	5,740
2 निवल पूंजीगत व्यय	-9,032	-11,534	-10,777	-11,850	-16,809
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-6,638	-5,345	-4,984	-5,770	-2,996
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप*					
1 बाजार उधारियां	3,166	3,363	3,572	8,171	12,991
2 भारत सरकार से कर्ज	403	909	450	536	414
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-167	725	1,270	1,184	922
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	198	210	245	258	798
5 आरक्षित निधियां	1,191	2,020	971	143	1,733
6 अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	698	837	948	962	1,025
7 जमा एवं अग्रिम	783	348	-490	618	574
8 उचन्त एवं विविध	-28	-93	32	462	1,457
9 प्रेषण	391	400	286	-57	-353
10 रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+875	-701	-2,598	+925	+5,497

*आंकड़े वर्ष के दौरान सवितरण एवं बहिर्गमन का निवल है
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के दौरान यह देखा गया है कि, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य भाग को वित्त पोषित करना जारी रखा। 2015-16 में राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में इसका अंश 92.36 प्रतिशत था। 2014-15 की तुलना में 2015-16 में आरक्षित निधियां तथा उचन्त एवं विविध की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1.12 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश के संबंध में 2004-05 से राजस्व आधिक्य रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.36) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.36: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62
2014-15	95,435	75,302	11,878	12,536	99,716	20,133	-4,281	11.91
2015-16	1,05,701	91,680	16,835	3,160	1,11,675	14,021	-5,974	15.07

*अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2011-16 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्तियां वर्ष 2015-16 को छोड़कर सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2011-16 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 5,740 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा जो कि बजट अनुमानों (₹ 5,588 करोड़) से अधिक था। तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 528 करोड़ की कमी आई। राज्य आपदा मोचन निधि, प्रत्याभूति मोचन निधि, ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि एवं राज्य शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना में कम अंतरण के कारण राजस्व आधिक्य ₹ 916.82 करोड़ अधिक बताए गए।
- वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 14,065 करोड़) में विगत वर्ष से ₹ 2,713 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में भी 2014-15 में 2.34 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि यह चौदहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर था।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,05,511 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान 19 प्रतिशत (₹ 16,870 करोड़) की वृद्धि केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 14,291 करोड़ से) एवं स्वयं के कर राजस्व (₹ 3,647 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में 1.52 प्रतिशत (2014-15) से 1.15 प्रतिशत (2015-16) की कमी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर 11.19 प्रतिशत (2014-15) से 16.62 प्रतिशत (2015-16) में वृद्धि के कारण हुई।
- केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 2014-15 में ₹ 24,107 करोड़ से 2015-16 के दौरान ₹ 38,398 करोड़ की वृद्धि चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई।
- वर्तमान वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जो कि 2014-15 के दौरान 53 प्रतिशत से तुलनात्मक रूप से कम था। कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आकलन से अत्यधिक कम (क्रमशः 19.22 प्रतिशत एवं 32.51 प्रतिशत से) थी।

राज्य सरकार बेहतर कर (Tax) अनुपालन सुनिश्चित कर, कर एवं करेक्टर स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु प्रयास कर सकती है। सरकार बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी के कारणों की समीक्षा कर सकती है।

व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय प्राथमिकता

- पूंजीगत व्यय में 2011-12 में ₹ 9,055 करोड़ से 2015-16 में ₹ 16,835 करोड़ की वृद्धि अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव के साथ हुई। 2015-16 के दौरान, इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,957 करोड़ (42 प्रतिशत से) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 2,246 करोड़ से), ग्रामीण विकास (₹ 1,170 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 502 करोड़ से) के अंतर्गत थी। हालांकि, 2015-16 के दौरान पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान ₹ 18,140 करोड़ से कम (₹ 1,305 करोड़ से) था।
- 2015-16 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 99,771 करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत था। 2015-16 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 12,461 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 3,051 करोड़ से), ऊर्जा (₹ 2,146 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 1,466 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 68,319 करोड़) राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 68,106 करोड़) से थोड़ा सा उच्च था।
- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगियां एवं राजसहायताएं (₹ 48,189 करोड़) पर व्यय, राजस्व व्यय का 48 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था। ₹ 11,725 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 60 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।
चूंकि आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का मुख्य भाग वेतन, पेंशन एवं ब्याज अदायगी पर व्यय होता है जो कि मुख्यतः नियंत्रण से बाहर है, राज्य सरकार आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के अन्य संघटकों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपायों की खोज कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अवसर देने एवं राज्य के संधारणीय विकास के लिए राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जा सके। राजसहायताओं पर व्यय जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, पर सरकार द्वारा अधिकतम ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।
सरकार को राज्य में शिक्षा क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

निवेश पर प्रतिलाभ

- 2015-16 के दौरान, सरकारी उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.86 प्रतिशत के विरुद्ध सरकार द्वारा 2015-16 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी

समितियों इत्यादि में किए गए निवेश ₹ 16,599.57 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 129.64 करोड़) केवल 0.78 प्रतिशत था।

सरकार को अपने निवेशों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखे को 2015–16 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 14,460.30 करोड़ था, घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 35,542.78 करोड़ तक हो गया।

सरकार को राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जो अधिक नुकसान में चल रहे हैं, की कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं पुनः प्रवर्तन कार्यनीति तैयार करना चाहिए।

रोकड़ शेष एवं देयताओं का प्रबंधन

- राज्य सरकार द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए निवेश में, 31 मार्च 2015 को ₹ 4,791 करोड़ से 31 मार्च 2016 को ₹ 9,485 करोड़, ₹ 4,694 करोड़ की वृद्धि हुई। चूंकि 31 मार्च 2016 को बाजार कर्ज ₹ 56,141 करोड़ था, अतः 'रोकड़ शेष निवेश खाते' में किए गए उच्च स्तर के निवेशों की समीक्षा की आवश्यकता है।

- बकाया राजकोषीय देयताओं में 2011–12 में ₹ 81,757 करोड़ से 2015–16 के अंत में ₹ 1,27,144 करोड़ की लगातार वृद्धि हुई। इन देयताओं में 2014–15 में 12.25 प्रतिशत के विरुद्ध 2015–16 के दौरान 16.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 12,991 करोड़ से) के अंतर्गत हुई थी। 2015–16 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.50 प्रतिशत थी जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 24.87 प्रतिशत के अंदर थी। ऋण की मात्रा बढ़ जाने के परिणामस्वरूप ऋण को चुकाने की देयताओं में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार नये ऋण का सहारा लेने से पूर्व आवश्यकता के आधार पर उधारियां लेने एवं उपलब्ध रोकड़ शेषों के उपयोग पर विचार कर सकती है।